राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के प्रारूप में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप

पद्मा यादव*

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 का प्रारूप सभी के साथ साझा किया गया जिसका उद्देश्य नीति पर सुझाव आमंत्रित करना है। अब समग्र शिक्षा अभियान में विद्यालय-पूर्व शिक्षा भी शामिल हो गयी है। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के प्रारूप में विद्यालय-पूर्व शिक्षा से कक्षा 12वीं तक मुफ़्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा की सिफ़ारिश की गयी है। 3–6 वर्ष की आयु के बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा के दायरे में लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, अभी तक शिक्षा के अधिकार अधिनियम में सिर्फ़ 6 से 14 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों के लिए ही निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी नीतियों को पढ़ने-समझने के बाद जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप देखते हैं तो कई महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आती हैं जोकि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता के लिए बेहद ज़रूरी है। प्रस्तुत लेख में पहले से उपलब्ध शिक्षा नीतियों की विवेचना करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के प्रारूप में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें की गयी हैं, उन्हें साझा करने की कोशिश की गयी है।

प्रारंभिक बाल शिक्षा आज के युग में सामान्य रूप से न केवल बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अहम है, बल्कि यह प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण रूप के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है। प्रारंभिक बाल शिक्षा (जन्म से 8 साल के बच्चों के लिए) में स्वास्थ्य, पोषण तथा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा अथवा शैशवकालीन उद्दीपन के तत्व शामिल होते हैं।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा 3–6 साल के बच्चों के लिए होती है। इसका उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। खेल और क्रिया पर आधारित पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों तथा क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है। खेल विधि द्वारा बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति होती है। इस स्तर पर औपचारिक शिक्षण विधियों के प्रयोग तथा पढ़ने-लिखने और गणित शिक्षण के विरुद्ध चेतावनी भी दी गयी है। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा बच्चों

*प्रोफ़ेसर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली 110016

© NCERT not to be republished

को प्रेरणादायक खेल वातावरण प्रदान करती है जिसमें बच्चों का बौद्धिक, भाषागत, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक विकास होता है। साथ ही यह बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए भी तैयार करती है।

प्रारंभिक बाल शिक्षा एवं नीतिगत विश्लेषण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/1992 (संशोधित)

- प्रारंभिक बाल शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है और इसे मानव संसाधन विकास के महत्वपूर्ण निवेश के रूप में माना गया है। प्राथमिक शिक्षा के पोषक एवं सहायक के रूप में और अपवंचित वर्ग की कामकाजी महिलाओं के लिए इसे सहायक सेवा के रूप में वर्णित किया गया है ।
- प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम के सभी पहलुओं पर ज़ोर दिया गया है। साथ ही इसमें देखभाल को भी जोड़ा गया है जिससे इसे प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा कहते हैं। देखभाल के प्रमुख तत्व हैं— स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार।
- बालकेंद्रित पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि अपनाने पर बल दिया गया है।
- शिक्षा में समुदाय की सहभागिता पर ज़ोर दिया गया है।
- बहुत कम उम्र के बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा के दबाव (जैसे—पढ़ने-लिखने और गणित पढ़ाने) के प्रति चेतावनी दी गयी है।
- खेल और क्रियाकलाप की गतिविधियों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया गया है।
- गरीब बच्चों की देखभाल और प्रोत्साहन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2000

इसमें संस्तुति की गई है कि दो वर्ष की पूर्व-प्राथमिक बाल देखभाल एवं शिक्षा 4 से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को उपलब्ध करायी जाए जिसमें किसी प्रकार का औपचारिक शिक्षण और मूल्यांकन नहीं होगा और जो विद्यालय की तैयारी के लिए अनुभव प्रदान करेगी। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000* के अनुसार पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करना है और इसलिए बाल देखभाल और शिक्षा, शिक्षा का एक प्रमुख तत्व है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005

इसमें कहा गया है कि छोटे-छोटे बच्चों की उचित देखभाल हो और उनके सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर एवं अनुभव दिए जाएँ। सर्वांगीण विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास तथा विद्यालय के लिए तैयारी शामिल है। प्रारंभिक बाल्यावस्था स्तर, छह से आठ साल तक की उम्र का समय, बहुत ही संवेदनशील और निर्णायक होता है, जब जीवन-भर के विकास के आधार और समस्त संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* सुझाती है कि बच्चों के विद्यालयी जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

इसमें कहा गया है कि समुचित सरकार विद्यालय-पूर्व शिक्षा की व्यवस्था कर सकती है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष

© NCERT not to be republished

से अधिक आयु के बच्चों को तैयार करने तथा सभी बच्चों के लिए जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरी करते हैं, आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार, नि:शुल्क विद्यालय-पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकती है।

राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) नीति, 2013

- संरक्षित और अनुकूल वातावरण में देख-रेख, स्वास्थ्य, पोषण, खेलकूद और प्रारंभिक शिक्षा जैसे अभिन्न तत्वों को सम्मिलित करती है।
- सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रसव-पूर्व अवधि से छह वर्ष की आयु तक सतत रूप से समेकित सेवाएँ प्रदान करने की भारत सरकार की वचनबद्धता की अभिपुष्टि करती है।
- प्रत्येक बच्चे की देखरेख और प्रारंभिक अधिगम पर ध्यान केंद्रित करते हुए बच्चों की उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास के लिए ठोस आधार सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक मार्ग प्रशस्त करती है।
- बच्चे के स्वास्थ्य, पोषण, मनो-सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं के बीच सह क्रियात्मक और परस्पर निर्भरता को स्वीकार करती है।

प्रारंभिक बाल शिक्षा से संबंधित ज़्यादातर दस्तावेज़ों एवं नीतियों में बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे व्यापक कार्यक्रमों की संस्तुति की गयी है जिसमें स्वास्थ्य, पोषण तथा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा अथवा शैशवकालीन उद्दीपन के तत्व शामिल हों। नीति संबंधी ज़्यादातर दस्तावेज़ों में इस बात पर बल दिया गया है कि विद्यालय-पूर्व शिक्षा बाल केंद्रित तथा क्रियाप्रधान हो। इस स्तर पर औपचारिक शिक्षण विधियों के प्रयोग तथा पढ़ने-लिखने और गणित शिक्षण के विरुद्ध चेतावनी भी दी गयी है।

ज़्यादातर दस्तावेज़ों एवं नीतियों में विद्यालय-पूर्व शिक्षा की गुणवत्ता में सहायक जो मुख्य बिंदु दिये गए हैं, वो इस प्रकार हैं—

- स्वास्थ्य
- पोषण
- मनो-सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं के बीच सह क्रियात्मक और परस्पर निर्भरता
- शैशवकालीन उद्दीपन
- बाल केंद्रित एवं क्रिया-प्रधान पूर्व-प्राथमिक शिक्षा
- बच्चों का सर्वांगीण विकास
- स्कूल की तैयारी के लिए अनुभव प्रदान करना
- प्राथमिक शिक्षा से जुड़ाव
- समुदाय की सहभागिता
- औपचारिक शिक्षण विधियों के प्रयोग तथा पढ़ने-लिखने और गणित शिक्षण के विरुद्ध चेतावनी
- औपचारिक शिक्षण और मूल्यांकन न होना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 (प्रारूप)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के प्रारूप में विद्यालय-पूर्व शिक्षा से 12वीं कक्षा तक मुफ़्त और अनिवार्य विद्यालयी शिक्षा की सिफ़ारिश की गई है। नयी शिक्षा नीति, 2019 (प्रारूप) का उद्देश्य है— 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ़्त,

© NCERT not to be republished

सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण, विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करना। अब, 3 से 6 साल के बच्चों को भी नि:शुल्क शिक्षा का लाभ मिलेगा, अभी तक शिक्षा के अधिकार अधिनियिम में सिर्फ 6 से 14 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों के लिए ही नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। नयी शिक्षा नीति, 2019 के प्रारूप में बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिनकी तरफदारी पूर्व की समितियों और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भी की गई है। नयी शिक्षा नीति के प्रारूप में प्राथमिक व इससे उच्च स्तर की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी साक्षरता व संख्या-ज्ञान से संबंधित दक्षताओं के विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की सुलभता का सुझाव भी दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के प्रारूप में शामिल मुख्य बिंदु

- 8 वर्ष की आयु तक बच्चे पूर्व निर्धारित शिक्षण प्रक्रियाओं से सामंजस्य बिठाना शुरू कर देते हैं। अत: 3–8 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों के लिए एक लचीली, बहुमुखी, बहुस्तरीय, खेल-आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा उपलब्ध हो।
- शाला-पूर्व (3–6 वर्ष की आयु) के तीन साल से लेकर कक्षा 2 (8 वर्ष की आयु) के अंत तक की अवधि को एक 'एकल शिक्षण इकाई' अर्थात बुनियादी स्तर के रूप में देखा जाए।
- रा.शै.अ.प्र.प. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षिक रूपरेखा तैयार करे। विभिन्न कलाओं, कहानियों, गीत, कविताओं, रिश्तेदारों का जुटना आदि से संबंधित सदियों से चली आ रही कई समृद्ध भारतीय परंपराओं को प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) के पाठ्यक्रम और शैक्षिक रूपरेखा में शामिल करना आवश्यक है।
- ई.सी.सी.ई. पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है।
- बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षण में पारंपरिक रूप से परिवारों की भूमिकाओं को मज़बूत किया जाना चाहिए।
- पारिवारिक अवकाश के नियम बनाना महत्वपूर्ण है, जो कि माता-पिता को शुरुआती वर्षों में अपने बच्चों की देखभाल की सुविधा प्रदान करते हैं।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाए एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का विस्तार किया जाए।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की पाठ्यचर्या और शैक्षिक रूपरेखा (0–3 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चे) से सबंधित दिशा निर्देश एवं 3–8 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों (बुनियादी-स्तर) से जुड़ी शैक्षिक रूपरेखा तैयार की जाए।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा से संबंधित सुविधाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाए।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का निरीक्षण हो।

© NCERT not to be republished

- सीखने की उपयुक्त परिस्थितियों की रूपरेखा तैयार करनी होगी।
- शिक्षकों का क्षमता संवर्द्धन करना।
- गुणवत्तापूर्ण नियामक प्रणाली स्थापित करना।
- हितधारकों की ओर से प्रारंभिक बाल्यायवस्था शिक्षा की माँग उत्पन्न करने के लिए उन्हें जागरूक बनाना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के सुझाव को लागू करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने होंगे?

- पहले से चल रहे प्राथमिक विद्यालयों के साथ पूर्व-प्राथमिक शालाओं एवं आँगनवाड़ी केंद्रों को जोड़ना होगा। जहाँ ये सुविधा उपस्थित नहीं है, वहाँ बड़े पैमाने पर पूर्व-प्राथमिक केंद्रों का निर्माण करना पड़ सकता है।
- आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों को खेल आधारित शिक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।
- आयु और विकास पर आधारित शैक्षिक सामग्रियाँ उपलब्ध करानी होंगी।
- पूर्व-प्राथमिक शालाओं के बच्चों को भी मिड-डे मील की व्यवस्था करनी होगी।
- केंद्रों को आकर्षक और प्रेरणादायक बनाना होगा।
- राज्य स्तर पर शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना होगा।
- एक नियामक प्रणाली बनानी होगी जो पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों (सभी सार्वजनिक, निजी एवं अनुदानित) को नियमित करे।
- अभिभावकों को जागरूक बनाना होगा। समुदाय का सहयोग हासिल करना होगा।

निष्कर्ष

प्रारंभिक बाल्यावस्था बहुत ही संवेदनशील और निर्णायक होती है। इस अवस्था को जीवन-भर के विकास के आधार और समस्त संभावनाओं के द्वार के रूप में जाना जाता है। इस अवस्था में मस्तिष्क का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। मूल्यों की नींव भी इसी चरण में पड़ती है। अत: यह बहुत आवश्यक है कि इस अवस्था के बच्चों की उचित देखभाल हो, उनके सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त अवसर और अनुभव उपलब्ध कराए जाएँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 (प्रारूप) में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को शामिल करना और उस पर ज़ोर देना शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देश में 3–6 वर्ष के बच्चों को मुफ़्त, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण, विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और शिक्षा मिल पाएगी। सरकार इसके लिए तमाम सुविधाएँ मुहैया कराएगी। देश के आँगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रारंभिक बाल अवस्था की शिक्षा को बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 से जोड़ा जाएगा। एक नियामक प्रणाली बनायी जाएगी जो पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों को नियमित करेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा का निरीक्षण करेगा। बच्चों की देखभाल से जुड़े सभी मंत्रालय जैसे महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय आपस में एकजुट होकर प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा को सुदृढ़ बनाएँगे। इस दिशा में लोगों के लिए जागरुकता अभियान आयोजित किये जाएँगे।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. 2013. *राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) नीति, 2013,* नयी दिल्ली.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2011. *निःशुल्क और अनिवार्य बाल-शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009,* नयी दिल्ली.

———. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986,* नयी दिल्ली.

यादव, पद्मा. 2015. *एग्जेम्पलर गाइडलाइंस फ़ॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ई.सी.सी.ई.) करीकुलम.* राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005.* राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———.2000. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000.* राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished